दिनांक 15 फरवरी 2023 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण नहीं कराने वाले दुकान/भवन को सील बंद करने की जाएगी कार्रवाई, भिलाई निगम ने कई लोगों को भेजा नोटिस

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई ने अनाधिकृत विकास व निर्माण को लेकर सख्ती बरतना चालू कर दिया है। इसके लिए भिलाई निगम के जोन क्षेत्रों में सघन सर्वे किया जा रहा है। सर्वे उपरांत अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण नहीं कराने वाले लोगों को नोटिस थमाया जा रहा है। नोटिस देने के बाद भी नियमितीकरण नहीं कराने पर सील बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। भिलाई निगम ने भवन अनुज्ञा की स्वीकृति का प्रयोजन परिवर्तित करने वाले जैसे कि पार्किंग स्थल पर दुकान का उपयोग , पार्किंग स्थल पर स्टोर एवं वर्कशॉप आदि को लेकर भी नोटिस जारी किया है। अनाधिकृत विकास व निर्माण के तहत भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण, मिली हुई स्वीकृति के विपरीत निर्माण , आवासीय प्रयोजन में व्यवसायिक निर्माण या बिना स्वीकृति के निर्माण करने वालों का नियमितीकरण किया जा रहा है तथा इसके लिए निगम प्रशासन बारंबार अपील कर रही है। फिर भी अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण नहीं कराने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी तथा नोटिस देने के बाद भी नियमितीकरण नहीं कराने वाले भवन/दुकान को सीलबंद किया जाएगा। गौरतलब है कि निगमायुक्त रोहित व्यास ने अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं इसके लिए लक्ष्य भी प्रदान किया है। नियमितीकरण कराने के लिए अलग-अलग स्थानों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नियमितीकरण कराने के लिए भिलाई निगम के मुख्य कार्यालय सहित सभी जोन कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में कभी भी संपर्क किया जा सकता है। भवन अनुज्ञा विभाग के उप अभियंता शहबाज अहमद के मोबाइल नंबर 9399414300 पर संपर्क कर इसके संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इन क्षेत्रों पर लगेंगे नियमितीकरण के लिए शिविर , उठाए लाभ नगर पालिक निगम भिलाई